संख्या:914/2023/2986/35-4-2023/35-4099/97/2021/टी0सी0253/2023

प्रेषक,

अरूणेश कुमार द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आजमगढ़।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 18 दिसम्बर,2023

विषय: त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत स्वीकृत राजकीय पॉलीटेक्निक की लागत पुनरीक्षित किये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्य मंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद- आजमगढ़ में राजकीय पॉलीटेक्निक, समसल्लीपुर, फूलपुर पवई, आजमगढ़ के भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजनान्तर्गत शासनादेश सं0-18/2020/257/35-4-2020 दिनांक 17 फरवरी, 2020 द्वारा प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1859.88 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-108/2021/1171/35-4-2021 दिनांक 29 जुलाई, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 729.94 लाख तथा शासनादेश सं0-365/2022/1356/35-4-2022/001-35-4099/97 /2021 दिनांक 04 नवम्बर, 2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 464.97 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों द्वारा अब तक कुल रू0 1394.91 लाख की धनराशि अवमुक्त हुई। प्राविधिक शिक्षा विभाग की संस्तुति पर मिट्टी भराई के अतिरिक्त कार्य को सम्मिलित करते हुए परियोजना को रू. 2318.46 लाख (रूपये तेइस करोड़ अठारह लाख छियालीस हजार मात्र) की लागत पर पुनरीक्षित किए जाने की निम्न लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1-सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020, 29 जुलाई, 2021, 18 अगस्त, 2021 तथा 04 नवम्बर, 2022 की शर्ते यथावत रहेगी। उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाये।

2-उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 17 फरवरी, 2020 को इस सीमा तक संशोधित समझा समझा जाये।

3-कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

4-जिलाधिकारी द्वारा पुनरीक्षित/स्वीकृत आगणन के अनुसार कार्य हेतु कार्यदायी संस्था को कार्यकारी आदेश प्रदान किया जायेगा तथा कार्यकारी आदेश के साथ-साथ स्वीकृत आगणन की एक प्रति संस्था को उपलब्ध कराई जायेगी।

5-पुनरीक्षित आगणन में प्रस्तावित मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किए जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

6-परियोजना का निर्माण निर्धारित समयावधि में पुनरीक्षित अनुमोदित लागत में अवश्य पूर्ण कर लिया जायेगा। भविष्य में प्रायोजना का कोई और पुनरीक्षण स्वीकार्य नहीं होगा।

3- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5 के अशासकीय संख्या-ई0-5-138-x-2023-2024, दिनॉक 12 दिसम्बर, 2023 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या:914/2023/2986(1)/35-4-2023/35-4099/97/2021/टी0सी0253/2023 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, आजमगढ़ मण्डल।
8- निदेशक, प्राविधिक शिक्षा विभाग कानपुर, उ0प्र0 ।
9- प्रबन्ध निदेशक उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0 विभूतिखण्ड गोमतीनगर लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, आजमगढ़।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आजमगढ़।
11- सम्बंधित संयुक्त निदेशक, स्टेट ट्रांसफार्मेशन कमीशन, नियोजन विभाग।
12- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
13- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आजमगढ़।
14- परियोजना प्रबंधक आजमगढ़ इकाई उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 आजमगढ़ ।
15- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अरूणेश कुमार द्विवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है। अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।